क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रों आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु रूपये 4.75 करोड़ की बैंक गारण्टी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में डवलपमेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 18.02.2014 तक है, जो आवश्यकता अनुसार बढ़वानी होगी।

10. प्रस्तावित भवन में रूफ टांप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रू. 1,00,000/- की जमानत राशि जमा करायी जानी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

11. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य वाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।

12. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेंन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. सन्दर्भित भूखण्ड पर 100 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं मानचित्र में प्रदर्शित खुले क्षेत्र को यथावंत रखना होगा एवं उसका रखरखाव भी करना होगा।

14. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

15. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/निर्माण शमनीय नहीं होगा।

16. क्योस्क की छत पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं है, जिसको खुला रखा जाएगा।

17. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक:-

1- एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

17/5/13
स्री.ए.टी.पी.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पृ.सं.: 1181/मा०अ०/2013 दिनांक: 17-5-2013

प्रतिलिपि:

1- प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सी.ए.टी.पी.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

Kiosks-25

400

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 169 /एम0पी0/2017

दिनांक : 20-3-2017

मानचित्र संख्या : 164/जोन-5/2016-17

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

मैसर्स सामग कंस्ट्रक्शन लि0
अधिकृत हस्ताक्षरी श्री दिनेश पाण्डेय,
बी-67 सरिता विहार, नई दिल्ली।

महोदय,

आप द्वारा ग्राम-शाहपुर बम्हैटा मे विकसित की जा रही इन्टीग्रेटिड टाउनशिप योजना के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत क्योसक के निर्माण हेतु आरक्षित भूखण्ड पर प्रस्तुत क्योसक उपयोगों हेतु मानचित्र प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.12.16 को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
7. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 06.06.2016 का पालन करना होगा।
11. भू-स्वामित्व सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में मानचित्र पर दी गयी स्वीकृति स्वत: निरस्त मानी जायेगी।
12. संरचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व विकासकर्ता का होगा।
13. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निम्न दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा:-
    i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.

23

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

xxi. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).

xxii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नकः एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद
20.3/2017

पत्रांकः /एम0पी0/2017 दिनांकः

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-5 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Kiosks

402

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल), नगर निगम, गाजियाबाद

पत्रांक: 233 /जलकल/2016-17 दिनांक- 19.1.017

विषय:- सामग कन्सट्रक्शन लि0 द्वारा हाऊसिंग कालोनी में भू-जल निकालने के लिये बोरिंग लगाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

मैसर्स सामग कन्सट्रक्शन लि0
बी-72, सै0-57, नौएडा,
जिला-गौतमबुद्धनगर।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 17.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्रांक-496/जलापूर्ति-व्यवस्था/2011 दिनांक 07.09.2011 के द्वारा आपको पत्र जारी किया गया है।

प्रस्तावित हाऊसिंग कालोनी योजना ग्राम शाहपुर-बम्हैटा के नये एवं अविकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा यह नगर निगम को हस्तान्तरित नही हुई। इस क्षेत्र में जलकल विभाग, नगर निगम, गाजियाबाद की जलापूर्ति वर्तमान में नही है। आप स्वयं के व्यय से बोरिंग आदि की विधिवत व्यवस्था करा सकते है।

महाप्रबन्धक(जल)
नगर निगम गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- क्षेत्रीय निदेशक, सैन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, भूजल भवन, सै0बी0सीतापुर रोड योजना, लखनऊ की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक(जल)

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F56679 /सी-१/एन०ओ०सी०/जी- ६१७/२००९ | 05 | दिनांक 10-11-09

सेवा में,

मैसर्स [illegible] कंसट्रक्शन लिमिटेड,
द्वारा श्री जी० सिंह, निदेशक,
१-६१, सेक्टर-६०,
नोएडा-२०१३०१

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की [illegible] से [illegible] इकाई की स्थापना हेतु / ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता~~ [illegible] विस्तार / [illegible] के [illegible] हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक..... शून्य .... का सन्दर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हों कि संयोग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों ([illegible]) के सन्तोषित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल सिटी टाउनसिप, ग्राम [illegible], [illegible], एन०एच-२४
गाजियाबाद में ७२.[illegible] एकड़ क्षेत्र।

(ख) उत्पादन २०३ विला, २०० एल०आई०जी०, २४० ई० डब्लू एस, २०८७ फ्लैट की
आवासीय कालोनी, स्कूल, शॉपिंग काम्पलेक्स, क्लब

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(ग) मुख्य कच्चा माल ....

लागू नहीं

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा ....

शून्य

(ङ) प्रयुक्त ईंधन डी०जी०सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक [illegible] उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

For Sare Saamag Realty Pvt. Ltd.

Authorised Signatory